

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

संख्या 24/19

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

जाति पुत्र
 जाति साकिन निर्णय दिनांक
 जाति साकिन

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

पटवारी हल्का ने इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक के मु. नं. 266/453 के कि. नं. के कुल रकबा राज पर पुत्र जाति साकिन ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर काशत कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युत्तर में, अप्रार्थी दिनांक को उपस्थित आया। उसने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज हैं। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा विधिपूर्ण साबित हो। अतः

अप्रार्थी पुत्र के मु. नं. 266/453 के रकबा राज को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधियोग में लेने के कारण अतिधारी किया जाता है। इस अतिधार के लिये उस पर भू-राजस्व का गुणा रूपये अखरे रूप्ये मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है

भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में उक्त रकबा पर काशत फसल को कुर्क करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि कि जाती है। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि कुर्क फसल सरेआम निलाम कर, बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावें।

पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढालबाछ में कायम, वसूली करें तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)